MA Sem – II
MPOLCC-07

POL. SCIENCE

Date
Page Dr. S.B. Kumar

EMERGING ISSUES : Humanitarian Intervention and Displacement of Population

उभरते हुए मुद्दे : मानवतावादी हस्तक्षेप एवं जनसंख्या विस्थापन

हस्तक्षेप (Intervention) → जब एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में बलपूर्वक दखल देता है तब ऐसे कृत्य को हस्तक्षेप की संज्ञा दी जाती है। प्रायः सभी शक्तिशाली राष्ट्रों ने कभी न कभी कमजोर पड़ोसियों के मामलों में हस्तक्षेप किया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ (expert) के अनुसार किसी देश को अन्य देश के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, जब कभी उसे अन्य देश में बसे अपने नागरिकों की संपत्ति या उनकी शांति व सुरक्षा को खतरा दिखाई देता है। आज आमतौर पर यह विश्वास किया जाता है कि हस्तक्षेप केवल उपयुक्त अंतर संगठन, जैसे संयुक्त राष्ट्र (UNO) की प्राधिकार के अधीन किया जाना चाहिए। अंतर कानून में हस्तक्षेप का अर्थ एक राज्य द्वारा अन्य राज्य के आंतरिक मामलों में या दो अन्य राज्यों के बीच संबंधों में तानाशाही तरीके से हस्तक्षेप हो।

तकनीकी रूप में 'हस्तक्षेप' शब्द की उत्पति अपेक्षाकृत नवीन है, परन्तु यह विचार काफी पहले ई० डी० केट्टेल, स्विस ज्युरिस्ट (न्यायवेत्ता) की कृति 'Droit des gens' में मिलता है। यह कृति 1758 में प्रकाशित हुई थी। उसने राज्य स्वाधीनता के सामान्य नियम निर्धारित किए थे कि प्रत्येक राज्य को उस तरीके से अपना शासन स्वयं करने का अधिकार है जिसे वह उपयुक्त समझता है। इसमें उसने यह उप सिद्धांत जोड़ते हुए कहा कि किसी भी विदेशी शक्ति को मैत्रीपूर्ण सहायता (friendly cooperation) के अलावा राज्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार तब तक नहीं है जब तक उसे ऐसा करने के लिए न कहा गया हो।

सामान्यतया हस्तक्षेप **तीन प्रकार** के होते हैं –

1.) आंतरिक हस्तक्षेप – आंतरिक संघर्ष अथवा कलह के कारण
2.) दंडात्मक उपाय के रूप में हस्तक्षेप – एक राज्य दूसरे राज्य पर संधि पालन अथवा दूसरे गैरकानूनी कार्यों को दूर करने के लिए करता है।
3.) बाह्य हस्तक्षेप – इसमें सामान्यतया अन्य राज्यों के शत्रुतापूर्ण संबंधों में एक राज्य दूसरे की सहमति के बिना हस्तक्षेप करता है।

मानवतावादी हस्तक्षेप → मानवतावादी हस्तक्षेप की अवधारणा नई नहीं है, बल्कि यह बहुत पहले से यूरोपीय शक्ति की राजनीति का अंग रही है।

Scanned with CamScanner

सामान्यतया हस्तक्षेप का उद्देश्य कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक अधिक होता है। शक्ति संतुलन (Balance of Power), मानवता का हित (Humanitarian ground) और वैचारिक एकता का अनुरक्षण (Maintainance of Ideological Unity)-तीन ऐसे लक्ष्य हैं जिनको राज्यों ने हस्तक्षेप के द्वारा आगे बढ़ाया।

मानवतावादी हस्तक्षेप का सिद्धांत प्रथम विश्व युद्ध तक विदेश नीति के संबंध में यूरोपीय शक्ति के आचरण का अभिन्न भाग रहा है। सिद्धांत का अर्थ है कि जब भी उसकी अपनी ही सरकार राज्य के लोगों के मानवाधिकारों (Human Rights) का उल्लंघन करती है, अन्य राज्य या राज्यों के समूह, जिसे 'अंतर्राष्ट्रीय समुदाय' (Int. Community) भी कहा जाता है, के नाम पर से हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इस प्रकार ~~हस्तक्षेप~~ उस राज्य के विरुद्ध जिसमें हस्तक्षेप किया गया था, उसकी प्रभुसत्ता (Sovereignty) अस्थायी रूप से बदली भी जा ~~सकती है~~। सितंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कोसोवो और पूर्वी तिमोर (इंडोनेशिया) में मानव अधिकारों और आत्म-निर्णय की रक्षा में बड़ा हस्तक्षेप देखा है। हालांकि शक्ति के भिन्न-भिन्न आदेशों के अधीन कार्रवाई की गई थी, फिर भी दो हस्तक्षेपों ने संदेश दिया कि विश्व समुदाय द्वारा मानवतावादी हस्तक्षेप पर बल को अधिक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन राज्य की प्रभुसत्ता के सिद्धांतों की कीमत पर नहीं हो और देश के आंतरिक मामलों में बाधक नहीं हो। इस प्रकार के हस्तक्षेप मानवाधिकारों के व्यापक दुरुपयोग के बारे में व्यवहारमूलक परिवर्तन लाने के लिए बाध्य कर सकते हैं।

जनसंख्या विस्थापन (Population Displacement)→

विस्थापन शब्द का अर्थ है एक स्थान अथवा परिवेश से दूसरे स्थान/परिवेश में बलपूर्वक भेजना। दूसरे शब्दों में यह जबरदस्ती स्थानांतरण है। विस्थापन में भौतिक परिवेश में परिवर्तन से इतर प्रक्रियाओं का सामना करना और नई व्यवस्था में शक्ति-संबंध जैसे कारक भी अंतर्निहित हैं।

विस्थापन (जबरदस्ती स्थानांतरण) और अप्रवासन (मूल स्थान/देश को छोड़कर अन्यत्र रहना) के अंतर को समझना आवश्यक है। अप्रवासन (non residence) एक भौतिक परिवेश से नए भौतिक परिवेश में स्वैच्छिक स्थानांतरण है। अप्रवासन

Scanned with CamScanner

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि कारणों से हो सकता है।

जनसंख्या विस्थापन दो प्रकार के हो सकते हैं :→

1) अंतरराज्य विस्थापन (Inter State displacement) → इसका अभिप्राय राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों का जबरदस्ती अप्रवासन से है। यहाँ राज्य का अर्थ स्वतंत्र संप्रभु देशों से है। अंतरराष्ट्रीय कानून (Int. Law) के अनुसार जिन्हें राष्ट्रीय सीमाओं के पार विस्थापित किया जाता है या अंतरराज्य विस्थापित किए जाते हैं, उन्हें शरणार्थियों (Refugee) के रूप में परिभाषित किया गया है।

2) राज्यांतरिक विस्थापन (displacement within the State) →

जब लोग राज्य की राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर या भीतर ~~विस्थापित~~ स्थानांतरित होते हैं तब इसे राज्यांतरिक विस्थापन कहा जाता है। जिन लोगों को विकास कार्यों जैसे, सड़कों, रेलपथों, बांधों के निर्माण के कारण या अन्य किसी कारण से जबरदस्ती स्थानांतरित किया जाता है वे राज्यांतरिक विस्थापन की श्रेणी में आते हैं। कश्मीर से पंडितों का स्थानांतरण भी राज्यांतरिक विस्थापन का उदाहरण है।

दोनों प्रकार के विस्थापन में बल-प्रयोग (use of force) निहित है।

शरणार्थी (Refugee) →

शरणार्थी वह व्यक्ति है जिसे अपना घर या स्थायी निवास का स्थान छोड़ने के लिए विवश या मजबूर किया जाता है। बेघर किए गए उन लाखों लोगों को आमतौर पर असहिष्णुता, उत्पीड़न, राजनीतिक हिंसा, सशस्त्र संघर्ष अथवा मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचने का प्रयास करना पड़ता है। शरणार्थी उन घटनाओं का शिकार होता है जिसके लिए कम से कम एक व्यक्ति के रूप में वह उत्तरदायी नहीं है।

जनसंख्या विस्थापन से शरणार्थी की समस्या पैदा होती है और अंत० स्तर पर इनके सुरक्षा की मांग होने लगती है। वर्ष 1950-51 शरणार्थी सुरक्षा में संक्रांति काल (transition period) सिद्ध हुआ। इसी समय शरणार्थियों की सुरक्षा और सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) का औपचारिक गठन किया गया था। 1951 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention on Refugees) पारित किया जिसे 1951 का शरणार्थी अभिसमय भी कहा जाता है।

Scanned with CamScanner

1951 का अभिसमय शरण का अधिकार (Right to Asylum) नहीं देता है। इसमें केवल शरण मांगने का अधिकार (Right for asylum) है। 1951 अभिसमय में (अनु० 33) में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसमें शरण के देश से निष्कासन या वापसी की मनाही पर विचार किया गया है। शरण देने वाले देशों से आग्रह है कि लोगों को बलपूर्वक उन स्थानों पर वापस नहीं भेजा जाय जहाँ उनकी जीवन/स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है।

जनसंख्या विस्थापन के परिणाम :-

1.) लम्बे समय बाद वापसी होने के कारण परम्परागत सामाजिक संरचनाएँ, जैसे परिवार, समुदाय और शक्ति संरचना अपने अंदर ही खत्म हो जाती है। महिलाएँ और बच्चे सबसे अधिक हानि उठाने वाले होते हैं क्योंकि संघर्ष की स्थिति में वे अपने जीवन साथी/पिता को खो देते हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है।

2.) महिला मुखिया परिवारों की आय भी सीमित होती है और इसलिए भोजन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में महिलाएँ एवं बच्चे कुपोषण एवं बीमारी से ग्रसित होती हैं।

3.) महिला और बालिका शिशु को काम वासना के विकार का खतरा बना रहता है। विस्थापन के दौरान महिलाओं और बच्चों पर सरकार या विद्रोही शक्तियों द्वारा उत्पीड़न, बलात्कार, अपहरण किया जा सकता है।

4.) नए क्षेत्र में विस्थापितों के संकेन्द्रण के कारण सामान्य संपदा संसाधनों पर दबाव हो सकता है। इससे पर्यावरण को बहुत बड़ा संकट हो सकता है।

5.) शहरी क्षेत्रों में भीड़-भाड़ का सामना करना पड़ सकता है। इससे पानी, आवासन, स्वास्थ्य देखभाल और सफाई ~~सुविधाओं~~ जैसी आधारभूत सुविधाओं पर दबाव पड़ सकता है

6.) विस्थापन से परंपरागत हस्तशिल्पियों की दक्षता की भी हानि होती है। उन्हें नई दक्षता अर्जित कर आजीविका के लिए विवश होना पड़ता है।

विस्थापन से सुरक्षा → संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की भांति कोई ऐसा विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है जिसके

Scanned with CamScanner

पास लाखों आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की ~~लिए~~ और से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो। इस स्थिति से निबटने के लिए देशीय विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शी सिद्धांतों में कुछ दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की सुरक्षा और सहायता की मुख्य जिम्मेदारी उनके राष्ट्रीय सरकारों की है।

देशीय विस्थापन की स्थिति में शरणार्थी राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर अधिक सुरक्षित स्थानों पर निकल भागते हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सुलभ भी हो जाते हैं। इसलिए इनकी सहायता एवं सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ सक्रिय हो जाती हैं। चिन्ताजनक स्थिति आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों का है जिनका अपने ही देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और सुरक्षा का भी अभाव रहता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा और सहायता की समग्र जिम्मेदारी ग्रहण किया है फिर भी इनकी पहचान में मुश्किल होती है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अतिरिक्त कुछ ~~सुरक्षा~~ गैर सरकारी अंत॰ सुरक्षा एजेंसियाँ हैं जो आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को सहायता देते हैं:-

(i) अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति (ICRC) - खतरे ~~खतरे~~ की स्थिति से नागरिकों को निकालना, बंदियों की रिहाई, संरक्षित क्षेत्र बनाने और युद्ध विराम के लिए व्यवस्था करना।

(ii) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसी संस्थाएँ भी महिलाओं और बच्चों की सहायता ~~करती~~ करती है।

(iii) गैर सरकारी संगठनों के अलावा Medicine sans frontiers-(MSF), Doctors without Borders - DWB, World Council of Churces - WCC भी देशीय विस्थापितों की सहायता करते हैं तथा आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की वापसी को (monitor) निगरानी करने के बारे में रिपोर्ट देते हैं।

—x—

Scanned with CamScanner